रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 2017/फाल्गुन 30, 1938
No. 214] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2017/PHALGUNA 30, 1938

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2017

सा.का.नि. 271(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिसे भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 105(अ) तारीख 3 फरवरी, 2017 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा 1 की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रारूप नियमों से युक्त उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दिए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 3 फरवरी, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 8, 9, 11, 12, 15, 27, 51, 64 और धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : –

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पॉचवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, में, –

(i) नियम 32 में, परंतुक में 'राज्यों द्वारा उदगृहीत की जा सकती हैं', शब्दों के पश्चात्' सारणी में विनिर्दिष्ट राशि से कम फीस और उदगृहीत भी की जा सकती है' शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) नियम 81 में, परंतुक में 'राज्यों द्वारा उदगृहीत की जा सकती हैं', शब्दों के पश्चात्' सारणी में विनिर्दिष्ट राशि से कम फीस और उदगृहीत भी की जा सकती है' शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

[फा. सं. आर.टी.–11017/12/2013–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 247(अ), तारीख 15.03.2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2017

G.S.R. 271(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 105(E), dated the 03rd February, 2017, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 03rd February, 2017;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 8, 9, 11, 12, 15, 27, 51, 64 and 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989,-

(i) in rule 32, in the proviso, after the words "States may levy", the words "fee lower than the amount specified in the table and may also levy" shall be inserted;

(ii) in rule 81,in the proviso, after the words "States may levy", the words "fee lower than the amount specified in the table and may also levy" shall be inserted;

[F. No. RT-11017/12/2013-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 247(E) dated the 15th March, 2017.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.22 14:15:53 +05'30'